लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 कृष्णा ऑयरन स्टील एंड पॉवर प्रा. लिमिटेड द्वारा ग्राम केसदा, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में प्रस्तावित (1) स्पंज ऑयरन (3X100 टीपीडी) 90,000 टन/वर्ष (2) स्टील इंगॉट्स/बिलेट्स थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ कनकॉस्ट (2X15 मी.टन/हीट) 90,000 टन/वर्ष (3) रोल्ड प्रोडक्ट्स टीएमटी बार्स/स्ट्रक्चरल स्टील्स थ्रू रोलिंग मिल (1X300 टीपीडी) 90,000 टन/वर्ष (4) फेरोएलायज़ थ्रू सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस (1 X 9 एमवीए) फेरो सिलिकन 6,300 टन/वर्ष, सिलिको मैंगनीज़ 14,200 टन/वर्ष, फेरो मैंगनीज 18,500 टन/वर्ष एवं (5) पॉवर प्लांट (अ) वेस्ट हीट रिकवरी आधारित 3X2 मेगावॉट = 06 मेगावॉट (ब) एफ.बी.सी. आधारित 1X14 मेगावॉट, कुल 20 मेगावॉट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 06.04.2013 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

उद्योग की प्रस्तावित परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 06.04.2013 को अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी श्री एम. कल्याणी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी, डॉ0 अनीता सावंत वैज्ञानिक, श्री राजेश खरे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भाटापारा, श्री प्रमोद शांडिल्य अनुविभागीय अधिकारी बलौदाबाजार–भाटापारा, श्री ख्वाजा अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़, उद्योग प्रतिनिधि श्री सुरेश अग्रवाल डॉयरेक्टर तथा मान्नीय विधायक श्री चैतराम साहू, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के मान्नीय सदस्य, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के गांवों के किसान आदि लगभग चार सौ लोग उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई सुबह 10:30 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गये, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथासंशोधित के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देते हुये परियोजना का संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने हेतु निवेदन किया गया।

4. अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी श्री एम. कल्याणी ने लोक सुनवाई हेतु आये मान्नीय जनप्रतिनिधियों एवं किसानों का स्वागत करते हुये कहा कि यह जन सुनवाई मे0 कृष्णा ऑयरन स्टील एंड पॉवर प्रा. लिमिटेड द्वारा ग्राम केसदा, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में प्रस्तावित (1) स्पंज ऑयरन (2) स्टील इंगॉट्स/बिलेट्स (3) रोलिंग मिल (4) फेरोएलायज़ (5) पॉवर प्लांट के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् है। यह पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई है। उन्होंने जनसमुदाय से कहा कि प्रस्तावित परियोजना के संबंध में आपके विचार, सुझाव एवं आपत्तियों को जनसमूह के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं एवं लिखित में भी दर्ज करा सकते हैं। इस प्रकार उन्होने लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा करते हुये उद्योग प्रतिनिधि को परियोजना के विस्तृत विवरण के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया।

5. उद्योग प्रतिनिधि श्री सुरेश अग्रवाल द्वारा परियोजना के संबन्ध में संक्षिप्त जानकारी दी गई व प्रस्तावित ईकाईयों में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे – ई.एस.पी., बैग फिल्टर्स आदि लगाये जावेंगे। परियोजना में कुल जल खपत 675 कि.ली./दिन होगी व जल आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड से अनुमति ली जावेगी व जन सुनवाई में आये लोगों से सहयोग करने का निवेदन किया।

6. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय ने कहा कि जो भी व्यक्ति परियोजना के संबंध में सुझाव एवं आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, वे मौखिक रूप एवं लिखित में दर्ज करा सकते हैं।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 **मान्नीय विधायक श्री चैतराम साहू** ने कहा कि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, मुझे लोक सुनवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसान लोगों को जन सुनवाई हेतु एक से डेढ़ महीने का समय देना जरूरी है। इस परियोजना से चार–पांच गांव प्रभावित होंगे, इस विषय में जनता जवाब नहीं दे सकती है व सभी के विचार अप्राप्त हैं। जन सुनवाई गांव में जनता के बीच रखना चाहिये व सभी भाईयों का मत है कि जन सुनवाई बिलकुल नहीं होनी चाहिये, इसी प्रकार ग्राम चौरेंगा में ग्रामीण भाईयों द्वारा धरना–प्रदर्शन भी किया गया था व कार्यवाही बंद करवाई गई थी। मैंने एक होकर अपना विचार रखा है।

2 **श्री कुलदीप सलुजा, जनपद सदस्य** ने कहा कि ग्राम केसदा एवं हमारे बीच उपस्थित जनता की यह मंशा है कि, स्पंज ऑयरन एवं कोई भी फैक्ट्री यहां नहीं खुलनी चाहिये। यदि शासन, प्रशासन एवं उद्योग प्रतिनिधि द्वारा दबाव पूर्वक फैक्ट्री का काम कराया जायेगा तो चौरेंगा के समान उसे हटा दिया जावेगा। आम जनता की राय होना चाहिये। स्पंज ऑयरन के संबंध में जो जन सुनवाई रखी गई है, इसके पर्यावरण प्रभाव से कोई अछूता नहीं है। रायपुर शहर में मकानों की छत, बाथरूम आदि सब काले पड़ जाते हैं। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिया जावेगा, लेकिन कोई नहीं लगाता है, न ही लगाने के बाद चलाया जाता है। फसल, तालाब काले हो जाते हैं। मनुष्य की उम्र 60 वर्ष से 40 वर्ष हो जाती है। पेड़–पौधे, जीव–जंतु सब प्रभावित होते हैं। स्पंज ऑयरन लगाते हैं व पांच रूपये से पांच सौ रूपये कमाते हैं। श्री सलुजा जी ने कहा कि उद्योग प्रतिनिधि श्री सुरेश अग्रवाल द्वारा परियोजना के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन स्पंज ऑयरन यहां नहीं खुलने दिया जावेगा, इसके लिये मुझे कुझ भी कुर्बानी देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा।

3 **श्री श्याम कुमार कश्यप, ग्राम केसदा** ने कहा कि हम समस्त ग्रामवासी जन सुनवाई का घोर विरोध करते हैं, स्पंज ऑयरन किसी भी हालत में नहीं खुलने दिया जावेगा। जबर्दस्ती जन सुनवाई कराई जा रही है। किसानों को धोखा देकर 1 से 1.5 लाख रूपये में जमीन खरीदी गई है। न ही जमीन का डायवर्सन है और न ही ग्राम पंचायत की अनुमति। किसी भी हालत में फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिये।

4 **श्री मेघराज निषाद, उपसरपंच ग्राम केसदा** ने कहा कि बाहर से आकर लोग बोलते हैं कि हम उद्योग लगायेंगे। मैं ग्राम पंचायत का उपसरपंच हूँ, मुझे एवं ग्रामवासियों को जन सुनवाई की कोई सूचना नहीं है। सभी ग्रामवासी एकजुट होकर सरपंच के पास दस्तखत

कराने गये, सरपंच द्वारा दस्तखत नहीं किया गया है। ग्राम वाले एक जुट हो गये हैं, हम सभी का मत है फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे, आज नहीं कल नहीं कभी नहीं खुलने देंगे।

5 **श्री मुंगेलाल परिहार, ग्राम केसदा** ने कहा कि हमारे गांव में फैक्ट्री खुल रही है, कोई जानकारी नहीं है। किसी भी हाल में फैक्ट्री नहीं खुलने देंगें। इस फैक्ट्री में काम नहीं करना है, और न ही खुलने देना है। रूखा–सूखा खाकर ही जीवन बितायेंगे।

6 **श्री आनंद अग्रवाल, ग्राम केसदा** ने कहा कि कंपनी को किसी भी प्रकार की अनुमति न दिया जावे। कंपनी को अनुमति दी जाती है तो, भू–जल गिरेगा, मुख्य नहर का पानी हमें नहीं मिलेगा। केसदा में खेती के लिये पानी नहीं है, राऊत कहतें हैं कि चारागाह नहीं है। उद्योग लगने से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। बिल्डर्स के नाम से जमीन खरीदी गई है। सक्षम अधिकारी जवाब दें, क्या भूमि नामांतरित हो गई है ? भूमि पुत्र किसे समझा जावेगा ? किसी की जन सुनवाई बिना अनुमोदन के कैसे हो रही है ?

7 **श्री संदीप पांडे, बलौदाबाजार** ने कहा कि बलौदाबाजार जिला जबसे बना है, किसी भी जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय नहीं आये हैं। हमारे जिले के एस.पी. साहब जरूर आ जाते हैं। पुलिस वाले पहले आ जाते हैं, जिससे कम से कम आदमी जन सुनवाई में उपस्थित हों। भाटा क्षेत्र में जन सुनवाई रखी गई है, जिससे कि आधे आदमी आये हैं। अच्छी व्यवस्था व सेटिंग की जाती है। सूटकेस पहले पहुंच जाते हैं। जब विधायक महोदय बोल चुके हैं, अतः जन सुनवाई खतम है। केवल पर्यावरणीय संबंधी आपत्ति दर्ज की जाती है, आब्जेकशन रिगार्डिंग एन्वॉयरनमेंट विल बी रजिस्टर्ड हियर। हमारे द्वारा बहुत सी जन सुनवाई देखी गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 198 पॉवर प्लांट लग रहे हैं। पर्यावरण के संतुलन को बहुत खतरा है व पानी की समस्या है। सी.एस.आर. की दुहाई दी जाती है। सबसे बड़ा प्रदूषण हर तरह से शोषण किया जाना है। अंबुजा सीमेंट में चार–चार आदमी खतम हो चुके हैं, रिश्तेदारों को दौड़ा–दौड़ा कर मारा गया। हमें संगठित होना पड़ेगा, सबको मिलजुल कर लड़ाई करना होगा। लिखित में भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है।

8 **श्री सुनील माहेश्वरी, जिला पंचायत सदस्य** ने कहा कि मैं एक किसान हूं, व किसान के रूप में जीना चाहता हूं। मेरी खुद की 125 एकड़ जमीन कास्तकारी की है। यह लोक सुनवाई केवल पर्यावरण की है। पहले गांव वालों से पूछना चाहिये कि प्लांट लगना चाहिये अथवा नहीं ? सात गांवों की स्टडी कराई गई है, लेकिन 1 कि.मी. दूर स्थित कामता गांव की स्टडी नहीं कराई गई है। तापमान, ध्वनि व प्रदूषण की स्टडी की गई है। यह स्टडी की जाती है कि, जीव–जंतु, ध्वनि, गैस–धुआं इतने–इतने पाये गये व पर्यावरण की अनुमति दी जा सकती है। रायपुर जिले में स्पंज ऑयरन की अनुमति बंद है, यहां पर बलौदाबाजार जिला बनने पर स्पंज ऑयरन की अनुमति दी जा रही है। यहां पर स्पंज ऑयरन उद्योग की अनुमति न दी जावे। हर गांव में उद्योग लगाया जा रहा है, ग्राम हरिनभट्टा, बछेरा, सरोरा, सांकरा, टंडवा में प्लांट लगाया जा रहा है। एअर–वे की दूरी अनुसार गांव रायपुर के पास स्थित हैं, अतः जिला बलौदाबाजार जिले को भी रायपुर जिले के समान समझा जावे व स्पंज ऑयरन प्लांट लगने की अनुमति न दी जावे। श्री बजरंग पॉवर को भी अनुमति ग्राम टंडवा में दी गई है, जी.एम.आर. उद्योग के विरोध के पश्चात भी उसे अनुमति दी गई है। सी.एस.आर. के अंतर्गत काम नहीं कराया जाता है। सरेआम पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई जाती है। प्रदूषण की स्थिति को भी सहीं ढंग से नहीं सम्हाला जाता है। कर्म ऐसे हैं कि विरोध करना पड़ता है। दिल्ली में सात–आठ अधिकारी बैठतें हैं व अनुमति दे देते हैं, कभी छत्तीसगढ़ आकर देंखें एवं दौरा करें, ए.सी. में बैठकर निर्णय न लेवें, कृपया मेरी बात सी.डी. में सुनें। श्री सुरेश अग्रवाल द्वारा चौरेंगा से

पांच–छह गुना बड़ा प्लांट यहां लगाये जाने का प्रस्ताव है। चौरेंगा में दो आदमी मारे गये थे व किसान जेल गये थे, हम नहीं चाहते कि चौरेंगा जैसी स्थिति यहां बने। जब तक आप किसानों को विश्वास में नहीं ले लेते प्लांट नहीं लगायें, उद्योगपति को किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।

9 **श्री संतोष कुमार वर्मा, ग्राम केसदा** ने कहा कि मेरी जमीन मात्र 2.5 एकड़ है। मुझे स्पंज ऑयरन फैक्ट्री से काफी नुकसान हुआ है। मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन हिम्मती बहुत हूं। मैं अकेला एलान करता हूं कि स्पंज ऑयरन न खुले।

10 **श्री शिव कुमार, ग्राम केसदा** ने कहा कि मालिक यह बतायें कि, कंपनी खोली जायेगी यह पूछा गया था क्या ? मैं निवेदन करता हूं कि कंपनी नहीं खुलना चाहिये।

11 **डॉ0 के.के. वर्मा, ग्राम केसदा** ने कहा कि हम किसान हैं, जमीन का सौदा हुआ तो कोई टाईअप नहीं हुआ था। हम अनाज बोते आ रहे हैं, यदि फैक्ट्री से प्रदूषण नहीं होता है, तो अनुमति की क्या जरूरत है ? प्रदूषण होगा, समस्त ग्रामवासी एकजुट होकर बात करें। पेड़–पौधे, जीवन, ट्यूबवेल खतम हो जायेंगे। ग्राम कुंदरू में बजरंग स्टील लिमिटेड प्लांट लगा है, जिसकी धूल के कारण आदमी को पहचाना नहीं जा सकता है। प्रकृति प्रदूषित हो जायेगी व जल स्तर खतम हो जायेगा।

12 **श्री राम विलास साहू** ने कहा कि आज ग्राम केसदा में, हरिनभट्टा में जल स्तर कम हो गया है, फसल काली हो रही है, अन्न की तकलीफ है, पैसे की तकलीफ है। प्लांट मालिक से बात करने पर कहा जाता है कि, फसल खरीदेंगे जबकि मार कर भगा दिया जाता है। सोसायटी में फसल खरीदने से मना कर दिया जाता है। मैं विरोध करता हूं, इससे नुकसान ही होगा। मैं चाहता हूं कि लोग संगठित हों, मैं जनहित के मामले में सौ बार जेल जाने के लिये तैयार हूं।

13 **श्री योगेश शर्मा** ने कहा कि यहां बड़े–बड़े पर्यावरणविद बैठे हैं। आग लगेगी तो धुंआ उठेगा ही। कौवा, चील, गिद्ध सब मर गये, भाग गये। हमारा विकास किसी पार्टी ने नहीं किया है। हमारी जमीन को छोड़ दो, हम गरीबों का घर मत उजाड़ो।

14 **श्री जनक राम वर्मा, बलौदाबाजार** ने कहा कि जन सुनवाई, लोक अदालत एवं पर्यावरण रायपुर जिले में स्टील प्लांट लगाने पर प्रतिबंध हैं, श्री सुनील माहेश्वरी जी ने भी बताया। सिलतरा के सभी लोग त्रस्त हैं। पर्यावरण के साथ पानी, हवा प्रदूषित होगी। छत्तीसगढ़ में 156 पॉवर प्लांट लग रहें हैं। आप सोच सकते हैं कि, कितने टॉवर लगेंगे। कोई भी सरकार हो खेती को उद्योग का दर्जा देना चाहिये। हम सभी का संकल्प है, कोई भी प्लांट छत्तीसगढ़ में नहीं लगना चाहिये। पर्यावरण प्रदूषित होगा।

15 **डॉ0 कृष्ण कुमार नायक, ग्राम केसदा** ने कहा कि धरती हम किसानों की माता है। सिलतरा तरफ आदमी, पेड़–पौधे, कपड़े काले हो जाते हैं। आंखों में इन्फेक्शन, फेफड़ा खराब हो जाता है। मैं गांव के साथ हूं। फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिये। पर्यावरण एवं प्रकृति में विकृति होगी।

16 **श्री शैली भाटिया, सरपंच ग्राम कामता** ने कहा कि जन सुनवाई स्पंज ऑयरन के बारे में हो रही है। सब पीड़ा जानते हैं। किसानी हमारा धंधा है, हम किसान जमीन को बचाते हैं। बछेरा गांव में स्पंज ऑयरन प्लांट है, जहां का तालाब काला हो जाता है। ग्राम नवागांव,

ओटगन एवं 20 से 25 कि.मी. तक प्रदूषण का प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऑक्सीजन की सभी को जरूरत है। इस स्थल के पीछे कामता का जंगल है, जिसे काफी नुकसान होगा। ग्राम चौरेंगा में दो लोग मारे गये थे, यहां के लोग भी चूड़ी नहीं पहने हैं। अतः फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, जो खपला हो जायेगा। मैने लिखित में भी ज्ञापन दिया है। कोई भी फैक्ट्री खोलने के मत में नहीं है।

17 **श्री कुबेर यदु** ने कहा कि मैं विरोध के पक्ष में बोलता हूं। हांथ–कंगन को आरसी क्या, पर्यावरण का क्या विनाश होता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। चौरेंगा में प्लांट लगा रहे थे, उन्हे भगाया गया है, हम भी विरोध करेंगे। जमीन खरीदने का कारण नहीं बताया गया है, हम किसानों को भविष्य के बारे में सोचना हैं। सिलतरा व उरला की तरह अब बलौदाबाजार में वह नौबत न आये, हम आंदोलन करेंगे। हम जानते हैं कि फैक्ट्री लगाने से टर्नओवर बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा। बजरंग पॉवर पानी का दोहन कर रहा है। पानी का स्त्रोत खतम हो जायेगा, धृतराष्ट्र बैठा है व द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि फैक्ट्री न खुले नहीं तो चौरेंगा के समान हाल होगा।

18 **श्री प्रमोद सोनी, सिमगा** ने कहा कि फैक्ट्री खुलने से किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, केवल उद्योगपति को फायदा है। अगर सबक सिखना है तो, चौरेंगा से सीखो। जन सुनवाई औपचारिकता है। कोई भी प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है। उद्योगपति द्वारा ई.एस.पी. लगाने को कहा जाता है, बिजली की खपत होने के कारण केवल दिखाने के लिये लगाते हैं। फैक्ट्री नहीं खुले।

19 **श्री ओमकार मिश्रा, ग्राम कामता** ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सुनील माहेश्वरी की जमीन रेघहा में लेता हूँ। मेरे साथ तीन–चार आदमी थे, मेरी पत्नी चाय बनाकर लाई, जिसमें कि मक्खी थी, मैने कहा ये मक्खी कहां से आई, उसने कहा यहां मच्छड़ों का प्रकोप है, जिसका कारण पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म से ज्यादा प्रदूषण है, मैं आई.जी.एल. फैक्ट्री में भी काम किया हूँ, वहां कोई समस्या नहीं थी। पोल्ट्री फार्म भले ही बंद होना चाहिये, लेकिन स्पंज ऑयरन खुलना चाहिये रोजगार मिलेगा।

20 **श्री रतिराम घृतलहरे, ग्राम केसदा** ने कहा कि क्या महोदय लिखित में देंगे कि, फैक्ट्री नहीं खुलेगी ? कंपनी को खुलने न दें। मुर्गी फॉर्म से भी प्रदूषण हो रहा है।

21 **श्री खंभालाल साहू, पंच ग्राम कामता** ने कहा कि हमारे गांव में मुर्गी फॉर्म है, जिसमें हमारे गांव की कोई लेबर नहीं हैं। आज एक भी आदमी को रोजगार नहीं मिला है।

22 **श्री भरत लाल यदु** ने कहा कि मैं राऊत हूं, यह चारागाह है, फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिये। हम दो एकड़ जमीन में कमाते–खाते हैं। हम विनती करते हैं कि, हमें कमाने–खाने दें। इसे स्थगित करो, हमको फैक्ट्री नहीं खुलवाना है।

23 **श्री दीनबंधु शर्मा, विधायक प्रतिनिधि** ने कहा कि हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय, श्री सुनील माहेश्वरी आदि ने अपनी बात कही। सभी की मंशा है कि, फैक्ट्री नहीं खुले। भिलाई में फैक्ट्री खुली तो मुफ्त में खीला मिल जायेगा, सिलतरा में फैक्ट्री खुली तो नौकरी मिल जायेगी, जबकि धूल–मिट्टी मिली, पर्यावरण की स्थिति खराब है, मोबाईल टॉवर से भी प्रदूषण हो रहा है। सत्य हरी का भजन है, यहां सत्य है कि फैक्ट्री न खुले, पित्र–पक्ष में कौवे भी नहीं मिलते हैं।

24 **श्री सरजू प्रसाद यदु** ने कहा कि आज हमारा सरपंच कहां हैं ? कलेक्टर साहब नहीं आये हैं, क्या मतलब है ? फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिये।

25 **श्री छगनलाल वर्मा** ने कहा कि मैं बरसात में जिला पंचायत जा रहा था, सिलतरा के पास मेरे द्वारा पहना गया सफेद कपड़ा काला हो गया। उद्योगपति को स्वतः बोल देना चाहिये कि उद्योग नहीं खोलेंगे।

26 **श्री आनन्द यादव** ने कहा कि जनता की भावना जानना चाहिये, सभी चाहते हैं कि फैक्ट्री नहीं खुले। क्या फैक्ट्री खुलने से अनाज पैदा होगा ? जमीन खरीदने के पूर्व लोक सुनवाई होना चाहिये। यह जन सुनवाई एक फार्मलिटि हो जाती है। चौरेंगा का उदाहरण में न कंपनी का आदमी जेल गया, न प्रशासन का। यह घोषणा हो कि फैक्ट्री नहीं खुलेगी।

27 **श्री संतराम वर्मा** ने कहा कि मेरे पास फोन आया था कि फैक्ट्री खुल रही है, क्या करना है ? मैंने कहा, मैं गांव के साथ हूं एवं गांव विरोध कर रहा है।

इसके उपरांत अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी श्री कल्याणी ने कहा कि यह खुला मंच है, जो बातें सामने आई हैं, उसमें एक स्वर में एक बात फैक्ट्री के विरोध में आई है। जन सुनवाई लोगों के विचार के परिपेक्ष्य में रखी जाती है। लिखित आपत्तियां एवं विडियोग्राफी, प्रोसीडिंग सभी कागजात की ट्रू कापी दिल्ली, भारत सरकार को भेजी जायेगी। मैं यह भी कहता हूं कि आज जितनी भी कार्यवाही पूरी हुई है, उसकी प्रोसीडिंग संबंधित ग्राम पंचायतों को भी उपलब्ध कराई जायेगी। तत्पश्चात उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई की प्रक्रिया दौरान कुल 16 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी,
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)